रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी, 1, 1972/पौष 11, 1893
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1972/PAUSA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st January 1972

SUBJECT.—*Import Policy for Newsprint—Printing and writing paper (excluding laid marked paper) which contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70 per cent of fibre contents—(S. No. 44-V)—for the year April '71—March' 72—restrictions in allocation of newsprint to daily newspapers.*

No. 2-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 36-ITC(PN)/71 dated the 7th April 1971, pertaining to the Import Policy for Newsprint for the year April'71—March'72.

2. Because of the present difficult foreign exchange situation and in view of the containing need to conserve foreign exchange, it has been decided, in pursuance of Remark VI Note 5 to the above Public Notice, to restrict allocation of newsprints 'daily newspapers' to their basic entitlement determined in terms of Remark V to the said Public Notice, which however, will be subject to the further restriction that the average-page-level for calculation of the entitlement will be subject to a maximum of 10. These restrictions will come into force with effect from January 1, 1972.

3. In the case of daily newspapers for which allocation of newsprint has already been made on the basis of an average page-level of more than 10, in terms of Remark V of the said Public Notice, the excess quantity will be treated as advance and will be adjusted against their entitlement for the year April'72—March'73.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1972

विषय :—वर्ष अप्रैल 1971—मार्च, 1972 के लिए अखबारी कागज-मुद्रण तथा लिखने के लिए कागज (लेड मार्क कागज को छोड़कर) जिसमें यांत्रिक काष्ठ लुगदी अन्तर्विष्ट है जो तन्तुक अंशों के 70 प्रतिशत की मात्रा से कम नहीं है—(क्रम सं० 44-पांच)—के लिए आयात नीति—दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज के आवंटन पर आयंत्रण।

संख्या 2 आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.—अप्रैल, 1971—मार्च 1972 के लिए अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति के बारे में विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 36 आई० टी०सी० (पी०एन०)/71, दिनांक 7 अप्रैल, 1972 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिन स्थिति के कारण तथा विदेशी मुद्रा बचाने की निरंतर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उक्त सार्वजनिक सूचना के रिमार्क 6 टिप्पणी 5 के अनुसरण में, दैनिक समाचार-पत्रों को अखबारी कागज के आवंटन को उस सार्वजनिक सूचना के रिमार्क 5 की शर्तों के अनुसार निर्धारित उनकी मूल हकदारी तक सीमित करने का निर्णय किया गया है, तथापि, इस पर यह अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगेगा कि हकदारी की गणना के लिए प्रयुक्त औसत पृष्ठ लेवल की अधिकतम सीमा 10 होगी। यह प्रतिबंध जनवरी, 1972 से लागू होगा।

3. उन दैनिक समाचार-पत्रों के मामले में जिनको उक्त सार्वजनिक सूचना के रिमार्क 5 की शर्तों के अनुसार 10 से अधिक औसत पृष्ठ लेवल के आधार पर अखबारी कागज का आवंटन पहले शर्तों के अनुसार 10 से अधिक औसत पृष्ठ लेवल के आधार पर अखबारी कागज का आवंटन पहले ही किया जा चुका है, अतिरिक्त मात्रा को अग्रिम मात्रा के रूप से समझा जायेगा और उसको वर्ष अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 के लिए उनकी हकदारी में समंजित किया जायेगा।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972